छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 866/2007

1. **श्री एस0एन0 चौहान,** - *अपीलार्थी*
बेहरापारा, वार्ड नंबर-9,
पोस्ट-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय जनपद पंचायत, धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 07 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एस0एन0 चौहान, द्वारा दिनांक 16.05.2007 को जन सूचना अधिकरी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धरमजयगढ़ के समक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें गलत, अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु वहाँ भी सुनवाई नही होने के कारण इससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.10.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में चूंकि जानकारी अपूर्ण दी गई थी, अत: श्री जयपाल राम, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को पंद्रह हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र विलंब हेतु जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 23.04.2008 को प्रस्तुत किया गया । उन्होंने अपने उत्तर में केवल यह बताया है कि उनके द्वारा जानकारी दिनांक 12.06.2007 को उपलब्ध करा दी गई थी, किन्तु आवेदन को देखने से यह स्पष्ट होता है कि जानकारी पूर्ण रूप से प्रदान नही की गई थी, क्योंकि आवेदन में गलत एवं भ्रामक जानकारी प्रकाशित कराने वाले कर्मचारी का नाम एवं पदनाम भी पूछा गया था और व जानकारी नही दी गई है, किन्तु दी गई जानकारी में यह तो स्वीकार किया गया था कि लिपिकीय त्रुटि हुई थी और उसे बाद में सुधार कर लिया गया था, किन्तु यह पूर्ण जानकारी दिया जाना मान्य नही किया जा सकता । अत: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का स्पष्टीकरण पूर्णत: संतोषप्रद मान्य नही किया

जाता है और अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत उन पर 5000/– रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । प्रकरण में चूंकि अभी–तक पूर्ण जानकारी नही दी गई है, अत: यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अब पूर्ण जानकारी अपीलार्थी को एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नि:शुल्क प्रदान करे । प्रकरण में अपीलार्थी ने यह भी बताया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था, किन्तु उनकी सुनवाई नही की गई, अत: इस संबंध में सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रथम अपीलीय अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करे, यदि उनकी त्रुटि पाई जावे तो उनके विरूद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करे । साथ ही यद्यपि अपीलार्थी ने क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 82,044/– रूपये की माँग की है, जिसका कोई आधार एवं औचित्य नही है, किन्तु फिर भी विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत जनपद पंचायत की ओर से राशि 800/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अब शेष रही जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत 15 दिवस में अपीलार्थी को नि:शुल्क दिलवाया जाना सुनिश्चित करें । यद्यपि आवेदन में भी गई प्रश्न इस तरह के पूछे गये हैं, जिनका उत्तर अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाना आवश्यक नही है, फिर भी इस प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा उनके कार्यालय द्वारा कुछ त्रुटियाँ की गई है, अत: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित प्रकरण को बुलाकर पूरी जाँच करें व आवश्यक हो तो दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी को भी जाँच के परिणामों से अवगत करावें ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त